and SCICI being non-governmental companies, their operations are managed and supervised by their respective Boards. Where financial institutions are statutory in character, supervisory responsibilities are in accordance with the Acts under which they are established.

Autonomy of Management in SBI

2616. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Financial Express of 30th July, 1993 captioned "SBI seeks autonomy of management" flexibility to have recruitment procedures, remuneration packages, career progressive plan and placement policy which conform to charging market practices conditions and customer requirements swiftly;

(b) whether it is a fact that SIBs Chairman Mr. D. Basu has urged the Central Government to look into the above reported issues urgently and allow managements of public sector banks appropriate autonomy in these areas so that they could compete effectively with private sectod and international banks and free them from bureaucratic procedures; and

(c) if so, what is the reaction of Government of India thereto and particularly to the proposal of appointment of a State Bank Lokpal to perform the functions of an ombudsman?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) ot (c) The information is being collected from the bank and, to the extent available will be laid on the Table of the Houe.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2617. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने स्टेट बैंक आफ इन्दौर की कलकत्ता और इन्दौर शाखाओं में घोटाले और अनियमितताओं के लिए कुछ अधिकारियों को दोषी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या-क्या है ;

(ग) क्या प्रबन्ध मंडल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किये जाने की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध कब मुकदमें दायर किए जाएंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इज्राइली उद्योगपतियों द्वारा भारत में निवेश की इच्छा प्रकट करना

2618. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इज्राइल के कुछ उद्योगपतियों ने भारत में विद्युत, कृषि और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए किन-किन परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है ; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) जी, हां । भारत और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से इजरायली और भारतीय उद्योगपति/व्यवसायी एक-दूसरे से मिलते रहे हैं और विद्युत, ऊर्जा, कृषि वित्त पोषण और कम्प्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार-विमर्श करते रहे हैं ।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा मामलों को निपटाया जाना

2619. **श्री राम रतन राम** : क्या वित्त मंत्री 4 मई, 1993 को राज्य सभा में अनारांकित प्रश्न 882 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के पास छः महीने से अधिक लम्बित नियमित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपाध्यक्ष इन मामलों का निपटारा एक-दो वर्षों तक नहीं करते हैं; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने उपाध्यक्ष को कब तक नये मामले नहीं दिये जाने का निर्णय किया है जब तक वे अपने पास लम्बित सभी मामलों का निपटारा नहीं कर देते ; और

(घ) क्या सरकार ने उपाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने पास छः महीने से अधिक समय से लम्बित मामलों को तत्काल निपटाएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) दिनांक 4 मई, 1993 को राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 882 के उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपाध्यक्ष के पास छः महीने से अधिक समय से न्याय के लिए लम्बित पड़े 31 मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, सीगॉट के अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए उन्हें नियमित बैंच का कोई कार्य नहीं सौंपा था ताकि वे अपना सम्पूर्ण ध्यान लम्बित पड़े मामलों पर केन्द्रित कर सकें । इसके परिणामस्वरूप इनमें से तीस मामले निपटा दिए गए ये और शेष अविलम्ब निपटा दिए जायेंगे ।

शेयरों पर दिया गया प्रीमियम

2620. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेयरों पर दिया जाने वाला प्रीमियम एस.ई.बी.आई. के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी शिकायतों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ; और

(घ) इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या एस.ई.बी.आई. के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ)